



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244878
CG-DL-E-01042023-244878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]
No. 214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2023

सं. 1-सीए (7)/204/2023.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1क) के अनुसरण में तारीख 18 जनवरी, 2023 से सतना जिला (मध्य प्रदेश) में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखा की स्थापना की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की सतना जिला शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय सतना में अवस्थित होगा। निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता संपूर्ण सतना जिले पर होगी :--

1. सतना
2. अमरपाटन
3. मैहर
4. मझगवान
5. नागोड
6. रामनगर
7. रामपुरबघेलान
8. उंचेहरा
9. रायगांव

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशों के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./740/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2023

No. 1-CA (7)/204/2023.—In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Central India Regional Council in Satna District (Madhya Pradesh) with effect from January 18, 2023.

The Branch shall be known as Satna District Branch of Central India Regional Council and its Head Quarter shall be at Satna. The Jurisdiction of the Branch besides the following Places shall cover whole District of Satna:-

1. Satna
2. Amarpatan
3. Maihar
4. Majhgawan
5. Nagod
6. Ramnagar
7. Rampur Baghelan
8. Unchehra
9. Raigaon

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./740/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फ़रवरी, 2023

सं. 1-सीए (7)/205/2023.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् ने अपनी अधिसूचना सं. 28-आरसी(4)/1/84, तारीख 23 फरवरी, 1984 के माध्यम से 20 जनवरी, 1984 को चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 136(3) के अधीन उदयपुर में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखा की स्थापना की थी।

अब, पूर्वोक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, संस्थान की परिषद् यह अधिसूचित करती है कि राजसमंद उक्त शाखा के अधीन नहीं रहेगा और साथ ही राजसमंद जिले के अधीन आने वाले स्थान भी आईसीएआई की सीआईआरसी की उदयपुर शाखा की अधिकारिता के अधीन नहीं रहेंगे।

आईसीएआई की सीआईआरसी की उदयपुर शाखा की अधिकारिता से राजसमंद को पृथक् करने और साथ ही राजसमंद जिले के अधीन आने वाले स्थानों को उक्त शाखा की अधिकारिता से पृथक् करने की प्रभावी तारीख 18 जनवरी, 2023 होगी।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./740/2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2023

No. 1-CA (7)/205/2023.—Whereas, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India vide notification no. 28-RC (4)/1/84 dated 23rd February 1984 w.e.f 20th January 1984 had set up a Branch of Central India Regional Council at Udaipur under Regulation 136(3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.

Now in partial modification of the aforesaid notification, the Council of the Institute hereby notify the detachment of Rajsamand and also places covered under Rajsamand District from the Jurisdiction of Udaipur Branch of CIRC of ICAI.

The effective date of detachment of Rajsamand and also places covered under Rajsamand District from the Jurisdiction of Udaipur Branch of CIRC of ICAI will be January 18th 2023

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./740/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

सं. 1-सीए (7)/206/2023.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् ने अपनी अधिसूचना सं. 28-आरसी(8)/5/88, तारीख 30 अगस्त, 1988 के माध्यम से 10 अगस्त, 1988 से चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अधीन हिसार में उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखा की स्थापना की थी।

अब, पूर्वोक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, संस्थान की परिषद् यह अधिसूचित करती है कि टोहाना, आईसीएआई की एनआईआरसी की हिसार शाखा की अधिकारिता के अधीन नहीं रहेगा।

आईसीएआई की एनआईआरसी की हिसार शाखा की अधिकारिता से टोहाना को पृथक् करने की प्रभावी तारीख 18 जनवरी, 2023 होगी।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./740/2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2023

No. 1-CA (7)/206/2023.—Whereas, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India vide notification no. 28-RC (8)/5/88 dated 30th August, 1988 w.e.f 10th August, 1988 had set up a Branch of Northern India Regional Council at Hisar under Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.

Now in partial modification of the aforesaid notification, the Council of the Institute hereby notify the detachment of Tohana from the Jurisdiction of Hisar Branch of NIRC of ICAI.

The effective date of detachment of Tohana from the Jurisdiction of Hisar Branch of NIRC of ICAI will be January 18th 2023

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./740/2022-23]